UPSR010002792021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538

सत्र वाद सं०–111/2021

राज्य उत्तर प्रदेश **.....अभियोजन**

बनाम

1. **सीताराम** पुत्र बाबादीन,
2. **शेषराम** पुत्र बाबादीन,
3. **मालिकराम** पुत्र शेषराम,
4. **शिवशंकर** पुत्र बदलू,
5. **प्रवीण** पुत्र शिवशंकर,
6. **हरिश्चन्द्र** पुत्र शिवशंकर,
7. **बलराम** पुत्र शिवशंकर,
8. **छज्जू उर्फ रामचन्दर** पुत्र शिवशंकर,
9. **चन्द्रभान उर्फ ननके** पुत्र शिवशंकर,

निवासीगण–चैयपुरवा, दा० शिवाजोत, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

.....अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–144/2019
धारा–147, 148, 506, 427
323/149, 307/149 भा०दं०सं०
थाना–इकौना, जिला–श्रावस्ती।

निर्णय

1– थाना इकौना, जिला श्रावस्ती की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 144/2019, धारा 147, 148, 506, 427, 323/149, 307/149 भा०दं०सं०, थाना इकौना, जिला श्रावस्ती के मामले में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र सीताराम व अन्य के विरुद्ध विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामले को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ धारा 207 दं०प्र०सं० के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर सत्र वाद सं० 111/2021 के रूप में संस्थित हुआ।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.07.20 16:35:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री रामपारस पुत्र अवधराम, निवासी चैपुरवा, दा० मनोहरापुर, थाना इकौना, जिला श्रावस्ती द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना इकौना को दिनांक 09.06.2019 को इस आशय की तहरीर दिया कि प्रार्थी रामपारस पुत्र अवधराम खेत को 60 वर्ष से जोते हुए थे, जो मुजहनिया ग्राम सभा में पड़ता है। दिनांक 08.06.2019 ई० को सायं 5 बजे सीताराम, शेषराम एवं मालिकराम खेत जोतने लगे। प्रार्थी अपने परिवार के साथ रोकने के लिए पहुँचे तो पहले से शिवशंकर पुत्र बदलू, सालिक राम, हरिश्चन्द्र, ननके, बलराम, प्रवीन, छज्जू और चन्द्रभान, निवासीगण उपरोक्त चैपुरवा, फरसा, भाला, गेड़ासी आदि धारदार औजार से जान से मारने की नियत से मारने लगे जिससे रामपारस, राम केवल निवासीगण उपरोक्त और दीपक को गहरी चोटें लगी हैं। हल्ला करने पर घर पहुँच कर दो गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बुरी तरह से छतिग्रस्त कर दिया है। अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3– वादी मुकदमा के द्वारा दी गई लिखित तहरीर प्रदर्श क–2 के आधार पर थाना इकौना, जिला श्रावस्ती पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 मु०अ०सं० 144/2019, धारा 147, 148, 149 , 506, 427, 323, 307 भा०दं०सं०, दिनांक 09.06.2019 को समय 05.03 बजे अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की गयी। जिसका खुलासा कायमी जी०डी० सं० 006 दिनांक 09.06.2019 समय 05.03 बजे, में किया गया।

4– मुकदमे की विवेचना उ०नि० अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा ग्रहण की गई। उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी तथा गवाहों के बयान अंकित किए गए। दौरान विवेचना अभियुक्त सालिकराम का नाम, घटना में उसकी संलिप्तता न पाए जाने के कारण अभियोग से विलुप्त किया गया। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा शेष अभियुक्तगण सीताराम, शेषराम, मालिकराम, शिवशंकर, हरिश्चन्द्र, चन्द्रभान उर्फ ननके, छज्जू उर्फ रामचन्दर बलराम व प्रवीण के विरुद्ध के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा 147, 148, 149 , 506, 427, 323, 307 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 20.09.2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सम्बन्धित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा दिनांक 02.02.2021 को सत्र सुपुर्द किया गया जो सत्र वाद सं० 111/2021, राज्य बनाम सीताराम व अन्य के रूप में दर्ज हुआ।

5– अभियुक्तगण सीताराम व अन्य न्यायालय उपस्थित आए। उनके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 09.12.2021 द्वारा धारा 147, 148, 506, 427, 323/149, 307/149 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट क–1, लिखित

तहरीर प्रदर्श क–2, आरोप–पत्र प्रदर्श क–3, नक्शा नजरी प्रदर्श क–4, फर्द बरामदगी तीन अदद लाठी खूनालूद प्रदर्श क–5, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–7, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–8, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–9, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–10, कायमी जी०डी०, डिस्टार्ज समरी आदि को साबित कराया गया है।

7– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–1 दीपक वर्मा, पी०डब्लू०–2 केवलराम, पी०डब्लू०–3 अयोध्या प्रसाद को परीक्षित कराया गया है।

8– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के मुख्य बयान निम्नवत् हैं:–

9– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू०–1 दीपक वर्मा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना को चार पांच साल हो गए, घटना शाम पाँच बजे की है। मुजेहनिया में उसका खेत है। उक्त खेत ट्रैक्टर द्वारा कोई जोत रहा था। जिसे रोकने के लिए उसके पिता व वह सब लोग गए तो बात कहानी में भगदड़ मच गयी जिससे उसके पिता रामपारस व चाचा केवलराम व उसे चोटें आ गयी। उसे व उसके पिता के सर पर चोट आयी थी, उन लोगों के चिल्लाने व शोर मचाने पर गाँव के तमाम लोग आ गए और उन लोगों की जान बचाई। घटना की सूचना उसके पिता जी ने थाने पर प्रा० पत्र देकर रिपोर्ट लिखवायी थी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस वालों ने उन लोगों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल इकौना भेजा था। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने उसका बयान लिया था।

10– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू०–2 केवलराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से 6 साल पहले की है। घटना शाम सात बजे की है। चमेलाबुद्ध इण्टर कॉलेज, ग्राम कौवापुर के पूरब की तरफ उसकी जमीन थी। वह अपने खेत पर गया था तब सीताराम, बड़कऊ, ननके, शिवशंकर व कई गाँव के अन्य लोग मौके पर इकटठा थे। उसकी व सीताराम आदि से वार्ता हो रही थी। शोर सुनकर उपरोक्त तमाम लोग इकटठा हो गये। उसी में भगदड़ होने लगी फिर पक्की सड़क पर होने के कारण पैर फिसल कर गिरने से उसे व उसके भतीजे दीपक व रामपारस को चोट आ गयी थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके भाई रामपारस ने लिखायी थी। उसने सुना था कि घटना के बाद पुलिस वाले जाँच करने आये थे। पुलिस वालों ने उसका इकौना अस्पताल में इलाज कराया था। पुलिस वालों ने चोट के बारे में उससे पूछताछ की थी।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्लू०–3 अयोध्या प्रसाद** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 5–6 साल हो गये। ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे। इसी बीच रामपारस और मालिकराम, प्रवीण, सीताराम, शेषराम, शिवशंकर, हरिश्चन्द्र, बलराम, छज्जू उर्फ रामचन्दर तथा व ननके उर्फ चन्द्रभान से बाता कहानी होने लगी उसी में भगदड़ मच गयी जिससे रामपारस केवलराम व दीपक को चोटें आयी। किसी के द्वारा किसी को मारते हुये उसने नहीं देखा। शोर सुनकर गाँव के तमाम लोग आ गये थे। यही बात

उसने दरोगा जी को बतायी थी।

12– अभियोजन की ओर से कुल तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

13– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दर्ज किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत एवं झूठा बताते हुए तथ्य के साक्षी पी०डब्लू० 01 के बयान को गलत बताया। साक्षी पी०डब्लू० 02 व 03 के बयान पर कुछ नहीं कहा है। मौखिक साक्ष्यों के अलावा अन्य प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है जिस पर अभियुक्तगण द्वारा कुछ नहीं कहा गया। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चलना बताया है।

14– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में झूंठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। घटना का समर्थन साक्षीगण ने नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट रंजिश होने के कारण से पंजीकृत कराई गई है। उपरोक्त घटना में बाता कहानी होने पर भगदड़ मच गई थी जिसकी वजह से कई लोगों को गिरने से चोटें आईं परन्तु किसी को भी कोई गम्भीर चोट नहीं आई है। घटना में किसी भी अभियुक्तगण ने किसी को भी कोई गाली गुप्ता नहीं दिया था और न ही किसी को मारा पीटा गया था। औपचारिक साक्षियों ने अभियोजन प्रपत्रों को विधितः साबित नहीं किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि मामले में कराए गए साक्ष्य स्वयं अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते हैं। अभियोजन प्रपत्रों के साबित होने के आधार पर अभियोजन कथानक को तब तक विश्वसनीय व साबित नहीं माना जा सकता है, जब तक घटना के बावत तथ्य के साक्षी द्वारा युक्तियुक्त रूप से घटना को संदेह से परे साबित नहीं कर दिया जाता है। चूँकि अभियोजन का सम्पूर्ण मामला संदिग्ध, असंगत और अप्रमाणित साक्ष्यों पर आधारित है, अतः संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना विधि का स्थापित सिद्धांत है। उक्त आधारों पर बल देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

15– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रामपारस, उसके पुत्र दीपक वर्मा व उसके भाई रामकेवल पर हमला किया गया जिससे उनको चोटें आईं थीं। चोटहिल राम केवल व दीपक को गहरी चोटें आईं थीं। चोटहिल दीपक वर्मा की हालत गम्भीर होने के कारण उसको मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा गया था। अभियुक्तगण के द्वारा बलवा कारित करते हुए, घातक आयुध फरसा, गेड़ासी व भाला आदि से सज्जित होते हुए विधिविरुद्ध जमाव किया गया तथा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए गाली गुप्ता देते हुए डराया धमकाया गया तथा वादी मुकदमा व अन्य चोटहिल को जान से मारने की नियत से मारा पीटा गया। अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए वादी मुकदमा व अन्य चोटहिलों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः सिद्ध हैं और अभियोजन कथानक पूर्णतया सन्देह से परे साबित है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए कठोर से कठोर सजा दिए जाने की याचना की गई।

16– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया गया।

17– उपर्युक्त तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने कथानक को संदेह से परे युक्तियुक्त ढंग से साबित कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं।

18– विचारणीय प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में जिन तथाकथित तथ्य साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, वे मुख्तयतः पी०डब्लू० 1 दीपक वर्मा (वादी मुकदमा का पुत्र एवं चोटहिल), वादी मुकदमा का भाई पी०डब्लू० 2 केवल राम एवं साक्षी पी०डब्लू० 3 अयोध्या प्रसाद हैं। वादी द्वारा दी गई लिखित तहरीर में मुख्य रूप से कहा गया है कि दिनांक 08.06.2019 को शाम के 5 बजे विपक्षी सीताराम, शेषराम एवं मालिकराम उसके खेत जोतने लगे जिसका कि वादी मुकदमा रामपारस के द्वारा विरोध किया गया। जब वह अपने परिवार के साथ विपक्षीगण को रोकने के लिए पहुँचा तो वहाँ पहले से ही अन्य शिवशंकर, सालिकराम, हरिश्चन्द्र, ननके, बलराम, प्रवीन, छज्जू और चन्द्रभान आदि उपस्थित थे। जो कि पीड़ित पक्ष के लोगों को फरसा, गेड़ासी और भाला आदि धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारने लगे जिससे पीड़ितों को चोटें आईं और दीपक वर्मा को गहरी चोटें लगी हैं। हल्ला गोहार पर विपक्षीगण उसके घर पहुँचे और फिर दो गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बुरी तरह से छतिग्रस्त कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देकर वे वहाँ से चले गए।

वादी मुकदमा रामपारस जो कि साक्षी पी०डब्लू० 1 के पिता थे, की मृत्यु दौरान मुकदमा हो चुकी है। अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 1 दीपक वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुजेहनिया में उसका खेत है। उक्त खेत ट्रैक्टर द्वारा कोई जोत रहा था। जिसे रोकने के लिए उसके पिता व अन्य लोग गए तो बात कहानी में भगदड़ मच गयी। जिससे उसके पिता रामपारस व चाचा केवलराम व उसे स्वयं को चोटें आ गयी। उसे व उसके पिता के सर पर चोट आयी थी, उन लोगों के चिल्लाने व शोर मचाने पर गाँव के तमाम लोग आ गए और उन लोगों की जान बचायी। घटना की सूचना उसके पिता जी ने थाने पर प्रा० पत्र देकर रिपोर्ट लिखवायी थी। आगे उसने यह भी कहा कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस वालों ने उन लोगों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल इकौना भेजा था। उसको प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा था। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उक्त घटना स्थल व समय पर कोई मार पीट और गाली गुप्ता नहीं हुआ था और न ही उसकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई थी और न ही कोई आर्थिक क्षति मुल्जिमानों द्वारा पहुँचाई गयी थी। इस साक्षी द्वारा आगे कथन किया गया कि दिनांक 08.06.2019 की शाम को पांच बजे कुछ ग्रामीणों द्वारा यह अफवाह फैलाई गई थी कि सीताराम व अन्य उसका खेत जोत रहे हैं जिसको सुनते ही पी०डब्लू० 1 दीपक वर्मा व उसके परिवार के अन्य सदस्य रामपारस, रामकेवल, कैलाश, शिवकुमार, मुरलीधर घर से निकल पड़े। मौके पर पहुँचने के पहले ही यह साक्षी दौड़ते हुए पक्की

सड़क पर गिर गया जिससे उसके सिर पर व शरीर के अन्य अंगों पर चोटें आईं थीं। फिर वह मौके पर नहीं गया था तथा रास्ते से ही घर वापस चला आया था। यह दर्शाता है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इस साक्षी ने आगे कथन किया गया कि पुलिस वालों के द्वारा उसका कोई भी बयान नहीं लिया गया था तथा जब साक्षी को उसका 161 सीआर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तब उसने उससे स्पष्ट इंकार कर दिया। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि मुल्जिमान सीताराम ने उसका खेत नहीं जोता था बल्कि वह अपना ही खेत जोत रहा था। अभियोजन की ओर से दिए गए साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है तथा इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। तहरीर में बताई गई घटना एकतरफा, संगठित और जानलेवा बताई गई है, जबकि इस साक्षी के द्वारा घटना में मारपीट, खतरनाक हथियारों से जानलेवा हमला करने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी का यह कथन उसके पिता रामपारस जो कि मामले में वादी मुकदमा हैं, के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करता है। जिरह में यह भी साक्ष्य महत्वपूर्ण है कि साक्षी को रास्ते में घटना स्थल पर जाते हुए पक्की रोड पर गिर जाने से उसको सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं थीं न कि मुल्जिमानों द्वारा उसे मारा पीटा गया। परन्तु मुख्य परीक्षा में साक्षी को गम्भीर रूप से घायल होने के कारण मेडिकल कालेज लखनऊ भेजा गया था। पीड़ित स्वयं कह रहा है कि उसने घटना होते नहीं देखा तथा वह घटना स्थल पर जाते हुए पक्की रोड पर दौड़ते हुए गिर गया था। पीड़ित दीपक वर्मा की मेडिकल रिपोर्ट में तीन चोटों के आने का विवरण दिया गया है। चोटों की प्रकृति के सम्बन्ध में चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट में चोटों को साधारण बताया गया है। जिससे यह साबित नहीं किया जा सकता है कि मुल्जिमानों द्वारा उसे मारा पीटा गया हो या फिर उस पर खतरनाक हथियारों से जानलेवा हमला किया गया हो। साक्षी के द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि उसे व उसके परिवार के सदस्यों को मुल्जिमानों द्वारा न तो मारा पीटा गया था, न तो जान से मारने की धमकी दी गई थी और न ही गाली गुप्ता ही दिया गया। साक्षी ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा उन्हें कोई भी आर्थिक क्षति भी नहीं पहुँचाई गई थी। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है तथा इस साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से विरोधाभासों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है।

19– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 2 केवलराम वादी मुकदमा के भाई हैं। उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि घटना शाम सात बजे की है। चमेलाबुद्ध इण्टर कॉलेज, ग्राम कौवापुर के पूरब की तरफ उसकी जमीन थी। वह अपने खेत पर गया था तब सीताराम, बड़कऊ, ननके, शिवशंकर व कई गाँव के अन्य लोग मौके पर इकटठा थे। उसकी व सीताराम आदि से वार्ता हो रही थी। शोर सुनकर उपरोक्त तमाम लोग इकटठा हो गये। उसी में भगदड़ होने लगी फिर पक्की सड़क पर होने के कारण पैर फिसल कर गिरने से उसे व उसके भतीजे दीपक व रामपारस को चोट आ गयी थी। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके भाई

रामपारस ने लिखायी थी। पुलिस वालों ने उसका इकौना अस्पताल में इलाज कराया था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। मुल्जिमानों ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की है। न तो मुल्जिमानों द्वारा बलवा किया गया है और न ही मुल्जिमानों द्वारा मौके पर असलहा लेकर उसे या किसी अन्य को मारा पीटा गया है। मुल्जिमानों द्वारा उसे या किसी अन्य को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई है। साक्षी ने आगे कथन किया है कि दरोगा ने उसका कोई भी बयान नहीं लिया था। साक्षी ने चोट के सम्बन्ध में कथन किया कि उसे जो चोटें आई थीं वह कई गांव के लोगों के द्वारा भीड़–भाड़ में पक्की सड़क पर धक्का देने के कारण गिर जाने से आई थी तथा उसके साथ उसके भाई रामपारस व भतीजा दीपक व गाँव के अन्य लोग भी थे जिनको भी भीड़ में गिरने से चोटें आई थीं। चोटों के सम्बन्ध में चोटहिल केवलराम की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6 का अवलोकन किया गया जिसमें NAD (No Abnormality Detected) पाया गया। चोटहिल केवलराम की मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि उसे कुल चार चोटें आई हैं। चोट सं० 1, 2, 3 की प्रकृति साधारण है तथा चोट Hard and blunt ojbect के द्वारा आना कहा गया है। परन्तु साक्षी के द्वारा कथन किया कि उसे जो चोटें आई थीं वह कई गांव के लोगों के द्वारा भीड़–भाड़ में पक्की सड़क पर धक्का देने के कारण गिर जाने से आई थीं। साक्षी ने अपने 161 सीआर०पी०सी० में दिए हुए बयान से स्पष्ट इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, जो विश्वसनीय नहीं है। साक्षी ने घटना के समय, कारण, उपस्थिति और घटना–क्रम के सम्बन्ध में असंगत साक्ष्य दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि वह विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। यद्यपि यह साक्षी वादी मुकदमा का सगा भाई है और वह हितबद्ध साक्षी भी है। मामले में उसके साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो, तब उसकी गवाही को अत्यधिक सावधानी और संदेह की दृष्टि से परखा जाता है और यदि उसमें असंगति या विरोध पाया जाए, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साक्षी पी०डब्लू० 1 दीपक वर्मा व इस साक्षी के साक्ष्य से गम्भीर विरोधाभास है। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने घटना स्थल पर पहुँचने से पूर्व ही उसको चोट आना बताया था जबकि इस साक्षी ने दीपक को चोट घटना स्थल पर आना बताया है। इस मामलें में इस साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से विरोधाभासों से परिपूर्ण है, जिस कारण वह विश्वसनीय नहीं है और उसकी साक्ष्य से किसी भी प्रकार से तहरीर में बताई गई घटना की पुष्टि नहीं होती है तथा इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 3 अयोध्या प्रसाद के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ट्रैक्टर से खेत को जोता जा रहा था। इसी बीच रामपारस और मालिकराम, प्रवीण, सीताराम, शेषराम, शिवशंकर, हरिश्चन्द्र, बलराम, छज्जू उर्फ रामचन्दर तथा व ननके उर्फ चन्द्रभान से बाता कहानी होने लगी उसी में भगदड़ मच गयी जिससे रामपारस, केवलराम व दीपक को चोटें आयी। किसी के द्वारा किसी को मारते हुये उसने नहीं देखा। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसने उक्त घटना में मुल्जिमानों द्वारा

न तो किसी को मारते पीटते देखा और न ही किसी को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गुप्ता करते हुए देखा। साक्षी ने अपने धारा 161 सीआर०पी०सी० में दिए हुए बयान से स्पष्ट इंकार किया। इस साक्षी के साक्ष्य से यह परिलक्षित होता है कि इस साक्षी ने घटना में किसी भी मुल्जिमान द्वारा किसी को भी मारते पीटते नहीं देखा और न ही किसी को गाली गुप्ता देते हुए देखा है। इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे अभियोजन पक्ष को लाभ मिल सके।

21– यह तथ्य पत्रावली में न केवल संभावित है बल्कि अभियोजन के अविश्वसनीय साक्ष्यों से यह भी प्रतीत होता है कि रिपोर्ट रंजिशन दर्ज कराई गयी। पत्रावली में प्रकाश में आए हुए तथ्यों से पता चलता है कि चोटहिलों/वादी पक्ष के किसी भी सदस्यों को किसी भी मुल्जिमान द्वारा मारते पीटते नहीं देखा गया है बल्कि उन्हें चोटें रोड पर दौड़ते हुए गिर जाने या फिर धक्का लग जाने की वजह से आई हैं। कुल मिलाकर, वादी मुकदमा के भाई व उसके पुत्र की गवाही में न केवल तार्किक विसंगतियाँ हैं, बल्कि उन गवाहियों में स्वाभाविकता का भी अभाव है। दोनों के कथन समय, स्थान, कारण में परस्पर समानता नहीं है। उनकी गवाही से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है तथा अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते हैं।

22– उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा विवेचना करने के उपरान्त आरोप–पत्र न्यायालय पर प्रेषित कर दिया गया था। पुलिस की विवेचना केवल दस्तावेजी औपाचारिकताओं तक सीमित रही और किसी भी भौतिक प्रमाण के अभाव में घटना की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। जबकि विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5 में घटना में प्रयुक्त तीन अदद लाठी खूनालूद को प्रमाणित किया है, परन्तु जब साक्षियों के द्वारा घटना में किसी भी तरह की मारपीट या फिर किसी आयुध द्वारा जानलेवा हमला किए जाने से साफ इंकार कर दिया है तथा उनके द्वारा उनको चोट सड़क पर गिरने या धक्का लगने से गिरने के कारण आना स्वीकार किया गया हो, तब ऐसे में उक्त बरामदगी का कोई महत्व नहीं रहा जाता है।

23– अतः न्यायालय का यह विवेकपूर्ण निर्णय है कि तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 3 के साक्ष्यों में गम्भीर विरोधाभास है तथा उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। जिसके कारण उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनके कथनों में मौजूद विरोधाभास से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा वर्णित घटना घटित ही नहीं हुई है, या यदि हुई भी है तो उसका स्वरूप वैसा नहीं था, जैसा कि तहरीर में चित्रित किया गया है। अभियोजन ने कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी ठोस या भौतिक साक्ष्य से अपने कथानक को पुष्ट किया है। इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

24– न्यायिक दृष्टिकोण से यह स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन को अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करना अनिवार्य होता है। परन्तु प्रस्तुत मामले में मामले में परीक्षित कराए गए साक्षियों ने विरोधाभासी बयान दिए हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन कथानक

का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष यह दिखाने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने किसी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से वादी पक्ष/चोटहिलों पर जानलेवा नीयत से हथियारों से प्रहार किया हो। इन सभी पहलुओं का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के किसी भी साक्ष्य में विश्वसनीयता नहीं है। न्यायिक विवेक के अनुसार जब किसी आपराधिक मामले में अभियोजन का कथानक सुसंगत, स्वाभाविक और प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं होता, तब अभियुक्तगणों को संदेह का लाभ दिया जाना न्याय का मूल सिद्धांत है। इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित कर पाने में सफल नहीं हो पाया है।

25– उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचनोपरांत न्यायालय का मत है कि इस मामले के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत बयान सहज स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं हैं। अभियोजन ने जो गवाह प्रस्तुत किए है, उन्होनें अभियोजन के कथानक को संदेह से परे साबित नहीं किया है और अपने बयानों को विकसित करते हुए संवर्धित और संशोधित बयान दिए है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा जो घटना के बावत साक्ष्य दी गयी है, उसके आधार पर अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्तगण **सीताराम, शेषराम, मालिकराम, शिवशंकर**, **प्रवीण, हरिश्चन्द्र, बलराम, छज्जू उर्फ रामचन्दर** एवं **चन्द्रभान उर्फ ननके** को धारा 147, 148, 506, 427, 323/149, 307/149 भा०दं०सं० के आरोप से सन्देह का लाभ प्रदत्त करते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

उपरोक्त अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में पूर्व से जमानत पर है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को, उनके दायित्वों से, उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437क दं०प्र०सं० के अन्तर्गत जमानतनामें व बंधपत्र अग्रिम 10 दिवस में न्यायालय में दाखिल करेंगे।

दिनांक–20.07.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–20.07.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।